


बत्तो देवी पत्नि नेमीचन्द जाति मीना निवासी जौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र भगवती प्रसाद
2. रघुवीर पुत्र भगवती प्रसाद
3. रामेश्वर पुत्र भगवती प्रसाद
4. सुरेश पुत्र दुर्गा प्रसाद
5. रमेश पुत्र दुर्गा प्रसाद
6. सबिता पुत्री दुर्गा प्रसाद
7. मुन्नी पुत्री दुर्गा प्रसाद
8. छोटी पुत्री दुर्गा प्रसाद
9. उषा पुत्री दुर्गा प्रसाद
10. पुरुषोत्तम पुत्र मनोहरी लाल
11. नन्दकिशोर पुत्र मनोहरी लाल
12. द्वारका पुत्र मनोहरी लाल
13. रमनबिहारी पुत्र मनोहरी लाल
14. उमा पुत्री मनोहरी लाल
15. माया पुत्री मनोहरी लाल
16. सुजीत पुत्र मोहन
17. अनिल पुत्र मोहन
18. सुनिता पुत्री मोहन
19. शकुन्तला पत्नि स्व० मोहन
20. सागर पुत्र चिम्मन
21. राजू पुत्र चिम्मन
22. राजेश पुत्र चिम्मन
23. वृजेश पुत्र चिम्मन
24. रामभरोसी पुत्र कन्हैया
25. कृष्णशंकर पुत्र रामस्वरूप
26. तहसीलदार टोडाभीम




बत्तो वावत तकारमा

प्रतिवादीगण

मु०न०. 87 सन 2018


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट व हाजरी श्री कृष्ण कुमार मित्तल एडवोकेट मिनकानिव गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व ~~कतई~~ डिक्की दी जाती है। कि

अतः दावा फाईनल डिक्की किया जाता है। वादीयों बत्तो देवी पत्नि नेमीचन्द जाति मीना निवासी जौल को ग्राम जौल की भूमि ख०न० 51 रकवा 0.07 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राधेश्याम रघुवीर रामेश्वर पि० भगवती हिस्सा 1/3 सुरेश रमेश पि० दुर्गा प्रसाद, सबिता, मुन्नी, छोटी, उषा पुत्रिया दुर्गाप्रसाद, सरवती पत्नि दुर्गा प्रसाद हिस्स 1/9, पुरुषोत्तम,


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

दकिशोर, द्वारिका, रमनबिहारी पि0 मनोहरी लाल, उमा, माया पुत्रिया मनोहरी लाल हिस्सा 2/9, गीत अनिल पि0 श्रीमोहन, सुनिता पुत्री श्रीमोहन, शंकुन्तला पत्नि श्रीमोहन हिस्सा 1/45, सागर, नू राजेश, बृजेश पि0 चिम्नन हिस्सा 4/45, रामभरोसी पुत्र कन्हैया हिस्सा 1/9, कृपाशंकर पुत्र मस्वरूप हिस्सा 1/9 जाति ब्राह्मण को ख0न0 51/1 रकवा 0.07, 46 रकवा 0.10, 66 रकवा 0.1 में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा।

निज.....मुवलिंग.....वावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद शरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे। सब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.07.2019 को जारी की गई।



दस्तखत.....
 उपजिती कलक्टर
 ओहदा.....
 टोडाभीम (कर्नाली)

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
मुदई			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वेकाल नामा			महनताना वकील		
स्टाम्प वजिहा सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमीशनर		
खर्चा गवाहान			वावत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमीशनर			मुतफरिक		
ववत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम जिला करौली

0 87 / 18

तारीख रजू:- 08.08.2018

मीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

श्री देवी पत्नि नेमीचन्द जाति मीना निवासी जौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र भगवती प्रसाद
2. रधुवीर पुत्र भगवती प्रसाद
3. रामेश्वर पुत्र भगवती प्रसाद
4. सुरेश पुत्र दुर्गा प्रसाद
5. रमेश पुत्र दुर्गा प्रसाद
6. सविता पुत्री दुर्गा प्रसाद
7. मुन्नी पुत्री दुर्गा प्रसाद
8. छोटी पुत्री दुर्गा प्रसाद
9. उषा पुत्री दुर्गा प्रसाद
10. पुरुषोत्तम पुत्र मनोहरी लाल
11. नन्दकिशोर पुत्र मनोहरी लाल
12. द्वारका पुत्र मनोहरी लाल
13. रमनबिहारी पुत्र मनोहरी लाल
14. उमा पुत्री मनोहरी लाल
15. माया पुत्री मनोहरी लाल
16. सुजीत पुत्र मोहन
17. अनिल पुत्र मोहन
18. सुनिता पुत्री मोहन
19. शकुन्तला पत्नि स्व० मोहन
20. सागर पुत्र चिम्मन
21. राजू पुत्र चिम्मन
22. राजेश पुत्र चिम्मन
23. बृजेश पुत्र चिम्मन
24. रामभरोसी पुत्र कन्हैया
25. कृपाशंकर पुत्र रामस्वरूप

समस्त जातियान ब्राहामण निवासीयान जौल तहसील टोडाभीम तहसीलदार टोडाभीम



प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा

उपस्थिति:- श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)
श्री कृष्ण कुमार मित्तल एडवोकेट प्रतिवादी न० 14 ता 19 एवं 21 ता 25

निर्णय

दिनांक:- 11.04.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम जौल की भूमि ख०न० 46 रकवा 0.10 है०, ख०न० 51 रकवा 0.14 है०, 66 रकवा 0.04 है० कुल कित्ता 3 रकवा 0.28 है० मे वादीया हिस्सा

जागरूकी
संघ
सामाजिक
गाम 19
5805
कि०-२०६१

की खातेदार काश्तकार है। बकिया हिस्सा प्रतिवादी न० 1 ता 25 के नाम महाखातेदार के दर्ज है। वादीया एवं प्रतिवादी गण के मध्य भूके पर सद्व्यवस्था की दृष्टि से बढाती कीर पर कर रखा है। भूमि ख०न० 51 मे ये 0.07 है० भूमि वादीया के हिस्से न कब्जे मे है। इन्ही का मुताबिक खातेदारी अलग हिस्सा न बटवारा कराना चाहती है। भूमि को विकसित करने न के लिए परिवर्तन कराने के लिए अलग खाता न ट्रेस होना आवश्यक है। प्रतिवादीगण तेदारान ने तहसील मे चलकर अलग खातेदारी कराने से इन्कार करने के कारण दावा पेश आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादी न० 1 ता 25 वाकत तकारमा डिक्री जाकर आराजी ख०न० 46 रकवा 0.10 है०, ख०न० 51 रकवा 0.14 है०, 66 रकवा 0.04 है० किता 3 रकवा 0.28 है० गाम जील मे वादीया के हिस्सा 1/4 मुताबिक खातेदारी न कब्जा खाता कायम कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी न० 1 ता 13, 1 26 के वावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की प्रतिवादी न० 14 ता 19 एवं 21 ता 25 की ओर से श्री कृष्ण कुमार मित्तल एडवोकेट शत हुए। और जबाब पेश न कर कथन किया कि वादी का दावा डिक्री कर दिया जावे। तो आपत्ति नही है।

वादी वकील ने सीधे बहस कर कथन किया कि यह दावा तकारमा से संबंधित है। रण मे जबाब भी प्रस्तुत नही हुआ है एवं प्रतिवादी न० 14 ता 19 एवं 21 ता 25 की ओर से दावा तकारमा डिक्री करने का कथन भी किया है। इसलिए दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर वारा स्कीम प्राप्त की जावे। वादी वकील के कथन पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल 1 जौल जमाबन्दी सम्वत 2070-73 का अवलोकन किया गया। आराजी ख०न० 46 रकवा 0.10 ख०न० 51 रकवा 0.14 है०, 66 रकवा 0.04 है० कुल किता 3 रकवा 0.28 है० मे वादीया हिस्सा 4 की खातेदार काश्तकार है। प्रकरण तकारमा का है अनावश्यक लम्बा नही चले इस कारण 11 प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडागीम को बटवारा कमीशनर नियुक्त किया गया। सीलदार से प्राप्त हुई बटवारा स्कीम का अवलोकन कर वादी वकील ने मुताबिक बटवारा स्कीम 11 फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दरतावेजो एवं बटवारा स्कीम अवलोकन किया बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किए जाने योग्य होने से दावा फाईनल डिक्री किया जाता है। वादीयाँ बत्तो देवी पति नेमीचन्द जाति मीना निवासी जील को न जौल की भूमि ख०न० 51 रकवा 0.07 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। श्याम रघुवीर रामेश्वर पि० भगवती हिस्सा 1/3 सुरेश रमेश पि० दर्गा प्रसाद, सविता, मुन्नी टी, उषा पुत्रिया दुर्गाप्रसाद, सखती पति दुर्गा प्रसाद हिस्सा 1/9, पुरुषोत्तम, नन्दकिशोर, रेका, समनविहारी पि० मनोहरी लाल, उमा, माया पुत्रिया मनोहरी लाल हिस्सा 2/9, सृजीत नेल पि० श्रीमोहन, सुनिता पुत्री श्रीमोहन, शंकुत्ता पति श्रीमोहन हिस्सा 1/45, सागर, राजू, जेश, वृजेश पि० विम्वन हिस्सा 4/45, रामगोरी पुत्र कन्हैया हिस्सा 1/9, कृपाशंकर पुत्र सरवरुप हिस्सा 1/9 जाति ब्राह्मण को ख०न० 51/1 रकवा 0.07, 46 रकवा 0.10, 66 रकवा 0.04 मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नवशा ट्रेस सलग रहेगा। पत्रा डिक्री जारी

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को लिखाया जाकर सुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कलेक्टर
राजकोट

(दुर्गा प्रसाद गोसा)
उपजिला कलेक्टर
टोडागीम (करीली)